



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 258]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 13 अगस्त 2020—श्रावण 22, शक 1942

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

शुद्धि-पत्र

भोपाल, दिनांक 11 अगस्त 2020

क्र. एफ 16-5-18-बाईस-पं.-1.—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक, 203, दिनांक 20 मई, 2019 में पृष्ठ 405 पर प्रकाशित शुद्धि-पत्र में दी गई सारणी के कॉलम (1) में वर्णित उन शब्दों के स्थान पर जो सारणी के कॉलम (2) में वर्णित पृष्ठों तथा पंक्तियों में आए हैं, सारणी के कॉलम (3) की तत्संबंधी प्रविष्टियों में दिए गए शब्द पढ़े जाएः—

सारणी

अशुद्ध मुद्रित हुए शब्द	राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्तियां जिसमें वे शब्द आए हैं	शुद्ध शब्द जो पढ़े जाएं
(1)	(2)	(3)
“मैं प्रस्तावक ”जिला पंचायत सदस्य/जनपद पंचायत सदस्य/सरपंच/पंच के निर्वाचन के लिए निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता/करती है।”	पृष्ठ 405 पंक्ति 16 से 19	“मैं प्रस्तावक ”जिला पंचायत सदस्य/जनपद पंचायत सदस्य/सरपंच/पंच के निर्वाचन के लिए निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता/करती हूँ।”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. आर. चौधरी, उपसचिव.